

a) That First Party shall and will execute the work covered by the items mentioned in the Schedule annexed to this Agreement at the rates and as per the terms and conditions of the original Agreement No. 23.29.3.1 Whatsoever called upon to do so by the Engineer-in-Charge, within a period of one year from the date hereof.

b) That the First Party shall have absolutely no claim of whatsoever nature against the Second Party for doing the work mentioned in the Schedule annexed to this Agreement as required under clause

(a) above, except that which he would be entitled to under the original Agreement No.12. S.B.D. 2018-19

c) That the First Party shall have to execute all the items which the Engineer-in-charge consider necessary.

R.W.D. (W.D.)

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य अंचल, मोतिहारी

Email - semotiharirwd01@gmail.com

पत्रांक - 1025 अनि

मोतिहारी, दिनांक- 12/08/2025

प्रेषक:-

ई० संजय कुमार पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मोतिहारी।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल अरेराज

कार्य प्रमंडल अरेराज के अधीन MMGSY अन्तर्गत एकरारनामा संख्या—13/SBD/2018-19 Construction of Road from Nawada Badhai tola to Noniya tola में जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति विषय :-हेतु संवेदक द्वारा समर्पित दावा विपत्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

पत्रांक-2702 अनु0 पदाधिकारी—सह—सचिव, के ब्राडा, कार्यपालक मुख्य प्रसंग :-दिनांक-17.07.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित कार्य में जी०एस०टी० की राशि की प्रतिपूर्ति जो जाँचोपरान्त रु0-5,17,349/- (पाँच लाख, सतरह हजार, तीन सौ उनचास रुपये) मात्र होती है, के भुगतान हेतु िन्न शर्त्तों के साथ अनुमित प्रदान की जाती है :--

- 2. किसी भी परिस्थिति में व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति के अनुक्षेत्र सीमा के अंतर्गत रखा जाए।
- 3. यदि भविष्य में दावा नियमानुकूल नहीं पाया गया तो सम्पूर्ण राशि एक मुस्त संवेदक के अगले विपत्र/अग्रधन में समयोजित कर ली जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(ई० संजय कुमार पाण्डेय) अधीक्षूण अभियंता